उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 23-9-86 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1986 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थेः-

1- श्री धान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री माता प्रसाद		सदस्य
3- श्री राम पाल सिंह		सदस्य
4- श्री परमात्मा प्रसाद सिंह		सदस्य
5- श्री योगेश कुमार बंसल		सदस्य
6- श्री शरद अथाना	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री एन0एस0जोहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8- श्री अशोक कुमार	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
9- श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
10-श्री एस0पी0आर्य	आवास आयुक्त	सदस्य
11-श्री वेद प्रकाश शर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	

नए सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गयेः-

क्र0सं0	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 27-6-86 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	चतुर्थ/(1)/86	परिषद की दिनांक 27-6-86 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 27-6-86 की अनुपालन आख्या।	चतुर्थ/(2)/86	परिषद द्वारा दिनांक 27-6-86 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की समीक्षा की गयी तथा आख्या का परिषद ने अनुमोदन किया।
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	चतुर्थ/(3)/86	दिनांक 22-9-86 को हुई अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के कार्यवृत्त को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और परिषद ने अनुमोदनोपरान्त यह निर्णय लिया कि निर्माण कार्यों की प्रगति मंद है। 19 हजार से अधिक भवन तुरन्त तैयार किये जाने हेतु प्रयास किये जाय। धन की व्यवस्था काफी हो गयी है परन्तु शासन के वित्त विभाग से और वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया जाय।
4-	मेरठ की योजना सं0-1 में टेलीफोन विभाग को प्रदिष्ट 1.99 एकड़ व्यय के देय मूल्य पर ब्याज की छूट के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(4)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि मेरठ की योजना सं0-1 में टेलीफोन विभाग को प्रदिष्ट भूमि के मूल्य पर ब्याज की छूट न दी जाय तथा भूमि का कब्जा इस शर्त के साथ दिया जाय कि भूमि के मूल्य पर ब्याज देय होगा परन्तु 31-3-86 के बाद ब्याज न लगाया जाए एवं यदि वे 31-3-87 तक भी देय राशि नहीं दें तो 31-3-86 के बाद भी ब्याज लगाया जाय

1	2	3	3
5-	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-5 बरेली को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(5)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि स्थल का निरीक्षण कराने के उपरान्त शासन से 31(2) की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
6-	आवास एवं विकास परिषद द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(6)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
7-	इज्जतनगर योजना सं0-2 बरेली में स्वयं वित्त पोषित वर्ष-74 के अन्तर्गत निर्माणाधीन श्रेणी ब0-71/181 प्रकार के 21 भवनों की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ(7)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू० 1.52 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	पौड़ी देव प्रयाग मोटर मार्ग पर गृहस्थान योजना सं0-2 पौड़ी गढ़वाल को परित्याग किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(8)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	परिषद के विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाना।	चतुर्थ/(9)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	कुर्सी रोड,योजना लखनऊ में श्री कृष्ण कुमार बाजपेयी को प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन सं0-3/152 को इन्दिरानगर लखनऊ में भवन सं0-सी0-304, डी0-1115, ए0-905/5 अथवा सी0-1234 में से परिवर्तन के संदर्भ में।	चतुर्थ/(10)/86	विशेष परिस्थितियों में भवन उपलब्ध होने की स्थिति में प्रस्तावित शर्तों के साथ भवन परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी जाय। भविष्य के लिए इसे पूर्व दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
11-	योजना सं0-6 मेरठ में षष्ठम हुडको परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन दु0आ0व0 भवन 18/40 प्रकार के 1181 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(11)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
12-	नीलामी विनियम में संशोधन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(12)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
13-	संभल गेट योजना सं0-1 चदौसी मुरादाबाद की 30.74 एकड़ भूमि में से केवल 20.18 एकड़ भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(13)/86	अध्यक्ष तथा अपर आवास आयुक्त स्थल का निरीक्षण कर निर्णय ले लें। अगली बैठक में परिषद को भी सूचित किया जाय।
14-	सिकन्दरा योजना आगरा में सेक्टर-16 के अन्तर्गत निर्माणाधीन अ0आ0व0 29/60 प्रकार के 165 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(14)/86	विस्तृत प्राक्कलनों के अन्तर का विवरण अगली बैठक में परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय जिसमें मूल्यों के परिवर्तन की परिस्थितियों का उल्लेख हो। इन सम्प्रेक्षणों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	चिरंजीलाल कन्या विद्यालय योजना सं0-2 अलीगढ़ के अन्तर्गत निर्मित दु0आ0व0 के 12 भवनों को सी0आर0पी0एफ0 से मुक्त कराये गये हैं के मरम्मत कार्य कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(15)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
16-	योजना सं0-7 मेरठ फेज-2 के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(16)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
17-	हापुड़ मार्ग पर भूमि विकास एवं बाजार योजना सं0-2 मोदीनगर(क्षेत्रफल 164 एकड़ अनुमानित लागत रु0 4,75,04,019.00) का परित्याग।	चतुर्थ/(17)/86	यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष तथा अपर आवास आयुक्त स्थल का निरीक्षण करके निर्णय ले लें और अगली बैठक में निर्णय की सूचना प्रस्तुत की जाय।
18-	रामनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना रामनगर (जिला-नैनीताल) क्षेत्रफल 20.51 एकड़ को परित्याग करने विषयक टिप्पणी।	चतुर्थ/(18)/86	निर्णित हुआ कि अध्यक्ष एवं अपर आवास आयुक्त योजना स्थल का निरीक्षण/परीक्षण करके निर्णय लेवें और निर्णय से अगली बैठक में परिषद को अवगत कराया जाय।
19-	आवास परिषद की इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, बरेली में समाविष्ट खसरा सं0-138 ग्राम उदयपुर खास में श्री बी0सी0 जोशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक आई0वी0 आर0आई0, बरेली की भूमि का विकास व्यय लेकर समायोजित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(19)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-	फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 फिरोजाबाद के परित्याग के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(20)/86	निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष एवं अपर आवास आयुक्त योजना का स्थल का निरीक्षण तथा परीक्षण करके निर्णय ले लें और अगली बैठक में निर्णय की सूचना दी जाय।
21-	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विधवा पत्नी श्रीमती सरला रस्तोगी को प्रदिष्ट भवन सं0-ए0-75 का अनिर्माण शुल्क अवमुक्त किये जाने के संदर्भ में।	चतुर्थ/(21)/86	विशेष परिस्थितियों में अनिर्माण शुल्क मई-1985 तक न लिया जाय। भविष्य में इसे पूर्व दृष्टान्त न माना जाय।
22-	परिषद की पंचम निर्माण खण्ड की जीप यू0पी0एच0-9295 के निष्प्रयोजन के फलस्वरूप उसके स्थान पर शिवेट डीलक्स कार क्रय करने तथा पंचम निर्माण खण्ड हेतु नई जीप क्रय करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(22)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
23-	परिषद में उप आवास आयुक्त (स0प्र0) के एक पद के सृजन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(23)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी। आवश्यक होने पर शासकीय अनुमति प्राप्त की जाय।
24-	सहायक निदेशक(जनसंपर्क)का पदनाम परिवर्तित कर सहायक आवास आयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(24)/86	सहायक आवास आयुक्त(प्रचार एवं जन संपर्क) पदनाम रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह निःसम्वर्गीय होगा।
25-	वरिष्ठ सर्वेक्षक तथा सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के पद पर निर्धारित वेतन के विरुद्ध श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, स0 प्र0 अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 9-1-86 की सुनवाई के प्रसंग में।	चतुर्थ/(25)/86	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के नियम-27 के अंतर्गत वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाय।

1	2	3	4
26-	श्री रामेश्वर सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(26)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	वित्तीय वर्ष-1980-81 की बैलेंसशीट पर सम्परीक्षण/जाँच आख्या के सम्बन्ध में अनुपालन कार्यवाही।	चतुर्थ/(27)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
28-	श्रीमती मोहिनी धर, टेलीफोन आपरेटर को उच्च वेतनमान देने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(28)/86	अगला वेतनमान दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	परिषद मुख्यालय जनसंपर्क कार्य हेतु रिसेप्शनिस्ट (स्वागतकर्ता) पद का पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	चतुर्थ/(29)/86	पदनाम परिवर्तन तथा वेतन उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। एक अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी।
30-	परिषद योजनाओं में कब्जा प्राप्त भूमि का कब्जा अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अतिक्रमण रोकने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में रु० 1100/- प्रति एकड़ की दर से व्यय करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(30)/86	निर्णय लिया गया कि स्पष्ट प्रस्ताव आवश्यकतानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाय।
31-	योजना सं०-7 फेज-2 मेरठ में चतुर्थ हडको परियोजना एवं पंचम हडको परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग के क्रमशः 22 एवं 74 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(31)/86	स्वीकृति प्रदान की।
32-	स्व० वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों को प्रदेशन के पश्चात् अन्य भवन से परिवर्तन कराने पर परिवर्तन शुल्क का लिया जाना।	चतुर्थ/(32)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	जिन भवनों का मूल्यांकन अनुमोदित हो चुका है एवं भवन जनता को आवंटित हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(33)/86	निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मामले पर परीक्षण करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता अपनी विशिष्ट संस्तुति परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। संहत प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाया गया।
34-	पटेल नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोरखपुर को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(34)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
35-	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु रु० 255 लाख का ऋण।	चतुर्थ/(35)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
36-	दुर्बल आय वर्ग के भवनों/[illegible] में निर्माण हेतु स्वीकृति [illegible] आवंटन के साथ ही [illegible] किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(36)/86	इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि मानचित्र की स्वीकृति 5 वर्ष तक वैध मानी जायेगी यदि उसे पुनः बढ़ाया न गया हो।

1	2	3	4
37-	परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा के ले आउट, भवन डिज़ाइन आदि हडको के माध्यम से वास्तुविद सलाहकार व्दारा कराया जाना।	चतुर्थ/(37)/86	सैद्धान्तिक रूप से इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि वास्तुविद सलाहकार की नियुक्ति परिषद व्दारा की जाय तो परिषद के लिये अधिक हितकर होगी।
38-	परिषद की मैनपुर योजना सं0-1 में अधिग्रहीत भूमि में अनाधिकृत कब्जे को रोकने हेतु यूकलिप्टस वृक्षारोपण योजना।	चतुर्थ/(38)/86	केवल सरहद पर ही दो-तीन पंक्तियों में पेड़ लगाए जावें 'सामाजिक वानिक तथा 'ठेकेदारी' पर देने की संभावनाएं भी देखी जाय।
39-	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-25 में केन्द्रीय औषधि एवं सुगंध पोधा संस्थान के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(39)86	पूर्व प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि पूर्व मूल्यांकन अनन्तिम था और अंतिम मूल्यांकन पर भूमि को मूल्य देय होगा और इसे पूर्व दृष्टान्त भविष्य में नहीं माना जाएगा।
40-	परिषद योजनाओं में भूमि अर्जन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(40)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
41-	परिषद की योजनाओं में प्रि-फैब्रिकेशन प्रणाली)का उपयोग।	चतुर्थ/(41)/86	प्री-फैब्रिकेशन प्रणाली व्दारा भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय। हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कं0नई दिल्ली व्दारा किये गये कार्यों को भी देख लिया जाय। इस पर एक सेमीनार आयोजित किया जाय।
42-	बैंकों में सी0सी0(केश क्रेडिट)खाता खोलने के विषय में।	चतुर्थ/(42)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।
√43-	परिषद मुख्यालय पर एक अन्य रिलीविंग ड्राइवर के पद की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(43)/86	प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
44-	ज्ञानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, ज्ञानपुर वाराणसी को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(44)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।
45-	श्रीमती सकूरन पत्नी (स्व0) श्री रोजन श्री नूर मोहम्मद आदि दक्षिणी बेतियाहाता, गोरखपुर की भूमि खसरा सं0-255/1, 291/292/1, 254/2, 291/2, 292/2 257 को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(45)/86	विचार-विमर्श के उपरान्त यह निश्चय हुआ कि मामले को अध्यक्ष जी, सदस्य श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा सचिव श्री बी0पी0शर्मा देखकर निर्णय लें और अगली बैठक में परिषद के सूचनार्थ निर्णय प्रस्तुत किया जाय।
46-	श्री उत्तम चन्द्र बंसल, सहायक अभियन्ता व्दारा मा0लोक सेवा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत वाद सं0-452/डी0/4/1979 में पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विचार किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(46)/86	श्री बंसल के 1-1-78 से स्थायीकरण 1-8-76 से दक्षता रोक पार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा उस पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
47-	रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-5 रामपुर।	चतुर्थ/(47)/86	विचार-विमर्श के उपरान्त 100 एकड़ भूमि अध्याप्ति की स्वीकृति प्रदान की गई। यथा समय 32 एकड़ भूमि मण्डी समिति को दिये जाने पर विचार किया जाय।

1	2	3	4
48-	बाजपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बाजपुर (जिला नैनीताल) क्षेत्रफल 8.38 एकड़ अनुमानित लागत 22.47 लाख।	चतुर्थ/(48)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।
49-	परिषद द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में परिषद कर्मचारियों हेतु आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाने एवं मूल्यों में प्रशासनिक व्यय की छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(49)/86	विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस पर अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के साथ सदस्य श्री राम पाल सिंह, ब्यूरो के प्रतिनिधि सदस्य, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी श्री एस०के०सिन्हा उप आवास आयुक्त श्री ओंकार नाथ तथा सचिव श्री बी०पी०शर्मा सभी सुझावों के विचार कर परिषद की अगली बैठक में सुस्पष्ट प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
50-	आवास तथा नगर विकास में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों के लिये टी०एम०जी० तथा एन०सी०एच० एस०ई० द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आवास आयुक्त का नामांकन।	चतुर्थ/(50)/86	आवास आयुक्त के भ्रमण कार्यक्रम हेतु हडको द्वारा नामांकन स्वीकृत हुआ। आई०डी०एम०सी० द्वारा जो व्यय भार वहन न किया जाय वह परिषद वहन करेगी।
51-	परिषद द्वारा गाजियाबाद योजना सं०-2 में हडको परियोजना सं०-3878 व 3879 व 3880 एम० 60 टाइप के निर्मित भवनों को हडको को आवंटित के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(51)/86	विचार विमर्श के उपरान्त हडको कर्मचारियों हेतु 46 भवनों का आरक्षण स्वीकृत हुआ परन्तु भविष्य में हडको को किये जाने वाले आरक्षणों में ऐसे उल्लेख हेतु परिषद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
52-	हापुड़ योजना सं०-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन दु० आ०व० के 18/40 प्रकार के 194 तथा अ०आ०व०-29/60 प्रकार के 145 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(52)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।
53-	प्रतापपुर योजना सं०-5 में निर्माणाधीन स्व०वि०पो०योजना वर्ष-84 के अन्तर्गत "श्रेणी" "अ०" के 8 श्रेणी "ब" के 15 एवं श्रेणी "स" के 18 भवनों के निर्माण हेतु निर्गत की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(52)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।
54-	योजना सं०-7 मेरठ में स्वंय वि०पो०योजना-85 के अन्तर्गत प्रस्तावित टाइप 3 के 27 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(54)/86	स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायालय में प्रस्तुत विवादों तथा स्वंय वित्त पोषित योजना के वर्तमान एवं भावी आवंटियों तथा अभियन्त्रण के कर्मचारियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी मुख्य वित्त अधिकारी, विधि अधिकारी तथा प्रभारी मुख्य अभियन्ता द्वारा बनाकर आवास आयुक्त के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाए।
55-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में स्व०वि०पो०परियोजना-1985 के अन्तर्गत टाइप-4 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के संबंध में।	चतुर्थ/(55)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।

1	2	3	4
56-	मेरठ योजना सं0-1 में हैन्डलूम मार्केट विकसित करने हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण को भूमि का आवंटन।	चतुर्थ/(56)/86	मेरठ विकास प्राधिकरण इस भूमि का क्या उपयोग करना चाहते हैं यह पता किया जाये। प्रस्ताव पुनः परीक्षण कर परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
57-	इन्दिरा नगर योजना देहरादून के अन्तर्गत डाक एवं तार विभाग को प्रोविष्ट भूमि दर के सम्बन्ध में।	चतु चतुर्थ/(57)/86	9,45,528 रुपये के भुगतान किये जाने पर टेलीफोन विभाग को भूमि उपलब्ध करा दी जाये।
58-	श्री जगदीश चन्द्र आहूजा, संरक्षक नित्यानन्द आश्रम ट्रस्ट को धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(58)/86	धार्मिक संस्था तथा जनसेवा को दृष्टिगत करते हुये पूर्व में 'आफर' दरों से आधी दर 800 वर्ग मीटर भूमि दे दी जाये।
59-	परिषद अधि0/कर्म0को चिकित्सा भत्ता 35/- प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(59)/86	मद सं0-49 की प्रस्तावित समिति इसे भी देखलें और अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
60-	परिषद कर्मचारियों को 'अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(60)/86	मद सं0-49 की प्रस्तावित समिति परीक्षण कर अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
61-	श्रीमती विधु गुप्ता एवं श्रीमती राजरानी गुप्ता को वाराणसी में बहुमंजिले म0आ0स0 में से एक भवन किश्त पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(61)/86	30,000 रुपये प्रारम्भ में जमा करने पर किश्त में आवंटन कर दिया जाये।
62-	श्री अनन्त चैतन्य को बरेली की सिविल लाइन्स योजना में दु0आ0स0भवन का आवंटन।	चतुर्थ/(62)/86	विदेशी मुद्रा में पूरा भुगतान करने पर पंजीकरण एवं एक दु0आ0वर्ग को भवन आवंटित कर दिया जाय।
63-	आवास परिषद की पतरामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जसपुर में स्थित श्री फकीर मो0 के खसरा 183, 184, 185 एवं 186 के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(63)/86	प्रस्तावित शर्तों के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी।
64-	कटरा(पूरक)भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बस्ती (क्षेत्रफल 1.927 एकड़ अनुमानित लागत 12.331 लाख) का परित्याग।	चतुर्थ/(64)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
65-	इन्दिरानगर योजना, रायबरेली के अन्तर्गत बाह्य विद्युतिकरण के कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(65)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
66-	ललितपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, ललितपुर।	चतुर्थ/(66)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
67-	हमीर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हमीरपुर (154.60 एकड़ तथा अनुमानित लागत रु0 110.98 लाख) का परित्याग करने विषयक।	चतुर्थ/(67)/86	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया गया कि योजना के परित्याग की विज्ञप्ति भी जारी की जाये। पंजीकृत व्यक्तियों के बयाना धनराशि को इच्छानुसार वापसी अथवा अन्य योजनाओं में स्थानान्तरण हेतु भी लिखा जाय।

1	2	3	4
68-	कुर्सी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम रहीमनगर, महानगर, बुर्मनगर व इस्लामबाड़ी की अनाधिकृत निर्माण की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(68)/86	अध्यक्ष महोदय परिषद के सचिव के साथ स्थल निरीक्षण एवं परीक्षण के उपरान्त निर्णय लेलें। अगली बैठक में निर्णय की सूचना परिषद को दे जाये।
69-	कुर्सी रोड योजना लखनऊ में प्रस्तावित व्यय वित्त पो0-85 के अन्तर्गत प्रस्तावित टाईप-I के 18 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(69)/86	स्वीकृति प्रदान की गयी।
70-	सहायक आवास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में सेवा विनियमावली।	चतुर्थ/(70)/86	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक एवं निजी सचिवों तथा सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों के सहायक आवास आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता पदों की संख्या तथा परिषद में कार्यविधि को दृष्टि में रखने हेतु मद सं0-49 में गठित समिति सभी दृष्टियों से विचार कर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
71-	श्रीमती पुष्पा सिंह, पत्नी श्री रमाशंकर सिंह के नाम राजाजीपुरम योजना में आवंटित भूखण्ड सं0 एम0-27 का परिवर्तन परिषद की इन्दिरानगर योजना लखनऊ में करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(71)/86	विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये सामान्य आकार के भूखण्ड रा0प0में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। भूखण्ड आवंटन होने तक पंजीकरण के चालू रहने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। स्थानान्तरण हेतु परिवर्तन शुल्क देय होगा। भविष्य में इसे पूर्व दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
72-	नियमित/ अनियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान पूर्व तिथि से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(72)/86	मद सं0-49 के अन्तर्गत गठित समिति सभी प्राप्त प्रत्यावेदनों पर हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों से विचार विमर्श तथा सभी दृष्टियों से परीक्षण कर वित्तीय व्यय भार सहित एक सुस्पष्ट प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
73-	परिषद में कार्यप्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत प्रशिक्षित पम्प आपरेटर (हैवी मशीन) व बिजली मिस्त्री के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(73)/86	
74-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन तथा ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(74)/86	
75-	यो0सं0-7 फेज-2 में निर्माणाधीन दु0आ0व0 के 468 एवं म0आ0व0 के 60 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(75)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		
76-	परिषद में नियुक्तियों एवं प्रभारी मुख्य अभियन्ता को अधिकार प्रदान करना।	चतुर्थ/(76)/86	सर्वश्री वेद प्रकाश शर्मा, चन्द्र दत्त शर्मा, सतीश चन्द्र कुदेसिया, बी0एन0दीक्षित के क्रमशः अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, अधीक्षण अभियन्ता, उप आवास आयुक्त के पद पर नियुक्ति तथा श्री चन्द्र दत्त शर्मा अधीक्षण अभियन्ता को प्रभारी मुख्य अभियन्ता का पदनाम देने एवं मुख्य अभियन्ता के अधिकारों के प्रयोग हेतु दी गई अनुमति का अनुमोदन किया गया।
77-	परिषद योजनाओं के परित्याग किये जाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(77)/86	भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1894 में संशोधन के फलस्वरूप जिन योजनाओं के परित्याग हेतु विशिष्ट आदेश परिषद से प्राप्त हैं, उनकी

1	2	3	4
			यथा समय परित्याग करने की विज्ञप्ति जारी की जाये।
78-	श्री लाजपत गुप्ता के मामले में पंजीकरण में कटौती न करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(78)/86	पंजीकरण में कटौती न करने के सम्बन्ध में मामले को परिषद की अगली बैठक में रखा जाये।
79-	सेवा संघों की मान्यता तथा बिजली बोर्ड के समान वेतन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(79)/86	विभिन्न प्राप्त प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों से विचार विमर्श कर मद सं0-49 के अन्तर्गत गठित समिति सभी दृष्टि से मामले पर विचार कर अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
80-	जल निगम कर्मचारियों द्वारा समय से स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत धन जमा न कर पाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(80)/86	इस मामले में निर्णय ले लिया जाय और अगली बैठक में सूचना प्रस्तुत की जाय।
81-	मण्डल स्तर पर परिषद की बैठक करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(81)/86	स्वीकृति प्रदान की गई।
82-	मितव्ययता के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करना।	चतुर्थ/(82)/86	मा0 सदस्यगण सचिव को मितव्ययिता के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सुझाव प्रेषित करदें जिससे अगली बैठक में इस पर विचार किया जा सके।
83-	कर्मचारी अनुकम्पा निधि की स्थापना के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(83)/86	30 सितम्बर-1986 से मामले में निधि के गठन का निर्णय ले लिया जाये।
84-	परिषद द्वारा उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(84)/86	विकास प्राधिकरणों की संख्या-5 से 21 हो जाने का उल्लेख करते हुये परिषद हेतु निर्धारित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों को कम करने हेतु तथा उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के भवनों के परिषद के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु बनाये जाने की अनुमति हेतु शासन को पुनः लिखा जाये।
85-	पूर्ण घोषित भवनों के आवंटन योग्य बनाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(85)/86	प्रभारी मुख्य अभियन्ता 31 मार्च तक पूर्ण घोषित 18985 परन्तु न आवंटन योग्य भवनों/भूखण्डों में से कितने भवन/भूखण्ड आवंटन योग्य बनाकर आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गए की सूचना आवास आयुक्त के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगे इस सम्बन्ध में अगली बैठक में टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाये।
86-	अनावंटित तथा बिना कब्जा लिये हुए भवनों का निरस्तीकरण	चतुर्थ/(86)/86	कहाँ कहाँ कितनी कितनी परिषद सम्पत्तियाँ किन किन कारणों से आवंटित तथा कब्जे हेतु पड़ी हुई है। इसका गहन परीक्षण किया जाये। परिषद की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु वसूली में कठोरता बरती जाये।
87-	परिषद द्वारा 'असेट्स' बनाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(87)/86	''असेट्स बिल्डिंग'' पर मुख्य वास्तुविद नियोजक टिप्पणी बनाकर आवास आयुक्त के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें।

1	2	3	4
88-	मेसर्स टण्डन ट्रेडर्स, आगरा को ब्याज चतुर्थ तथा मुआवजे के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(88)/86	सर्वश्री टण्डन ट्रेडर्स व्दारा चल रहे वाद में किये गये व्यय को वापस न करते हुये मामले को उठाने में वाह्य रूप में आपत्ति नहीं प्रतीत होती। यह देखा जाये कि श्री टण्डन के पुत्र की हत्या में कोई मुआवजा किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। विधि अधिकारी इसका परीक्षण कर अगली बैठक में इसे प्रस्तुत करें।
89-	सिंगापुर बैंकाक भ्रमण पर पांच सदस्यों व्दारा अध्ययन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(89)/86	परिषद के 5 सदस्य अधिकारियों के साथ सिंगापुर बैंकाक आदि में आवासीय समस्या एवं उनके निदान का अध्ययन कर परिषद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष